न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 232/2022
जीएसएमएस सं. – 2022/318

—:: प्रार्थी ::—
भाई खां पुत्र गनी खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

—:: अप्रार्थीगण ::—
1. अलारख खां पुत्र गनी खां
2. उम्मेद खां पुत्र गनी खां
3. सदीक खां पुत्र गनी खां
4. सलीम खा पुत्र गनी खां
5. साबरा पुत्री गनी खां पत्नि सदीक खां
6. आसी पुत्री गनी खां पत्नि गफूर खां
7. नजू पुत्री गनी खां पत्नि आलीजं खां
8. भचीरा पुत्र गनी खां पत्नि अलादीन खां
9. मुन्ना पुत्री गनी खां पत्नि अलादीन खां
10. मेना पुत्री गनी खां पत्नि हाजी खां
11. मरियम पुत्री गनी खां पत्नि फकीर खां
12. फजलू खां पुत्र युसुफ खां
13. मुबारक खां पुत्र युसुफ खां
14. रहमत खां पुत्र युसुफ खां
15. सहाबुदीन पुत्र युसुफ खां
16. सफरू खां पुत्र गफूर खां
17. समसु खां पुत्र गफूर खां
18. मिसा पत्नि गफूर खां
19. रहमान पुत्र कोजू खां
सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर
20. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 28.07.2022

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री मो. फारूख खान सिन्धी, अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री उदयसिंह कच्छावाह अभिभाषक अप्रार्थी
3.श्री रामकिशोर चौधरी अभिभाषक, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 17.11.2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि प्रार्थी /प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा में एक बाद बाबत बन्टवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

के पेश कर दिया है। ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाडशहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से उन्नीस की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 766 / 1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति सलग्न पेश है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पिता स्व. गनी खा की उक्त भूमि में 1/4 वा हिस्सा कानूनन निहित रहा है गनी खा जी का देहान्त हो जाने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 वादग्रस्त आराजी पर सहुलियत अनुसार काबिज होकर कारत कार्य करते आ रहे है उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को जरिये विरासत में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 19 का राजस्व रेकर्ड अनुसार हिस्सा सही इन्द्राज हो रखे हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी को स्व. गनी खा जी से प्राप्त हुई है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 13 / 288 वां हिस्सा कानूनन निहत है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 से 19 के साथ साथ अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थीगण माफिक हक हिस्से अनुसार शामलाती रूप से काबिज होकर साहुलियत अनुसार काश्त कार्य करते आ रहे हैं वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक माप जय सीमांकन के कानून अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है जिसका प्रार्थी माप व सीमाकन के बन्टवाड़ा करवा कर प्रार्थी अपना 13 / 288 वां हिस्सा बन्दवाड़ा में प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 19.07.2022 को अप्रार्थी 12 से 15 एकराय होकर आये व वादग्रस्त आराजी के मौके की कीमती जमीन जिस पर हिस्से से अधिक हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की फिराक में व अजनबी खरीददार को साथ लेकर वादग्रस्त आराजी पर आये व वादग्रस्त आराजी को वैचान करने की नियत से दिखाने लगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 12 से 15 से निवेदन किया कि आप बिना बन्टवाड़ा करवाये ही वादग्रस्त आराजी की मौके की कीमती जमीन का बैचान क्यों कर रहे हो आपको पुश्तैनी भूमि का वैचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 12 प्रार्थी से अत्यधिक नाराज हो गये एवं एलानिया धमकी दी कि मौका मिलते ही सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अजनबी खरीददार को वैचान हस्तान्तरणः करके रहेंगे। जबकि अप्रार्थी संख्या 12 से 15 को ऐसा करने का काई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए न्यायहित मे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है क्योकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अगर अप्रार्थी संख्या 12 से 15 ने वादग्रस्त आराजी का बिना बन्टवाडा करवाये अजनबी खरीददारान् को बैचान हस्तान्तरण कर दिया तो एवं प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में आंका नहीं जा सकेगा। अप्रार्थी संख्या 12 से 15 को अपने हक हिस्से से अधिक हिस्से की भूमि का बैचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि राजस्व मूल बाद के विचारण के दौरान एवं अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जायें कि ग्राम सिन्धीपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 766/1 रकबा 0.5016 भूमि पर प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 11 व 16, से 19 की ओर से अधिवक्ता उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी सं. 12 से 15 की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 11 व 16 से 19 से अधिवक्ता उदयसिंह कच्छावाह ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से उन्नीस की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा रकबा नम्बर 766 / 1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है जिसको प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है जो सही है एवं वास्तविकता में उपरोक्त खसरा नम्बर 766/1 रकबा 0.2016 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 19 की सहखातेदारी का है। जिसका बन्टवाड़ा कानूनन आज दिन तक नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वंशावली यानि कि सजरा खानदान दर्शाया गया है जो सही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पिता स्व. गनी खां की उक्त भूमि में 1/4 वां हिस्सा कानूनन निहित रहा है गनी खां जी का देहान्त हो जाने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 वादग्रस्त आराजी पर सहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त कार्य करते आ रहे है उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को जरिये विरासत में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 19 का राजस्व रेकर्ड अनुसार हिस्सा सही इन्द्राज हो रखे है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की पुश्तैनी सहदायगी की कृषि भूमि है वादग्रस्त भूमि प्रार्थी को स्व. गनी खां जी से प्राप्त हुई है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 13 / 288 वां हिस्सा कानूनन निहत है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 से 19 के साथ साथ अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त चला आ रहा है वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थीगण माफिक हक हिस्से अनुसार शामलाती रूप से काबिज होकर साहुलियत अनुसार काश्त कार्य करते आ रहे है वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक मांप व सीमांकन के कानून अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है जिसका प्रार्थी मांप व सीमांकन के बन्टवाड़ा करवा कर प्रार्थी अपना 13/288 वां हिस्सा बन्टवाड़ा में प्राप्त करने का अधिकारी है एवं बन्टवाड़ा किया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी 12 से 15 बिना बन्टवाड़ा व बिना तरमीम के बेचान करने पर उतारू है इसलिए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 766 / 1 रकबा 0. 5016 हैक्टेयर का बटवाड़ा व तरमीम कानूनन किया जाये इसलिए जब तक पुश्तैनी भूमि का बैचान करने का किसी भी पक्षकार को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए न्यायहित में ग्राम सिन्धीपुरा में स्थित खसरा नम्बर 766/1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर के बैचान हस्तान्तरण नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जायें। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है क्योंकि वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर

आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अगर अप्रार्थी संख्या 12 से 15 ने वादग्रस्त आराजी का बिना बन्टवाड़ा व बिना तरमीम करवाये अजनबी खरीददारान् को बैचान हस्तान्तरण कर दिया तो एवं प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में आंका नहीं जा सकेगा। अप्रार्थी संख्या 12 से 15 को अपने हक हिस्से से अधिक हिस्से की भूमि का बैचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए न्यायहित में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे जिससे किसी भी पक्षकार का हिस्सा प्रभावित नहीं हो। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक प्रार्थना स्वीकार फरमाया जावे।

इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. 12 से 15 द्वारा जवाब नही दिया जाकर सीधे ही बहस में भाग लिया।

हमने बहस वकुलाय सुनी गयी जिसमें प्रार्थी वकील ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया हैं कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान ग्राम सिन्धीपुरा की सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 766/1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर में प्रार्थी के 13/288 वॉ हक हिस्से के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 से 19 किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें । वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 से 19 बैचान हस्तांतरण नहीं करें। राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमायें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वकील अप्रार्थी सं. 1 से 11 व 16 से 19 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अगर अप्रार्थी संख्या 12 से 15 ने वादग्रस्त आराजी का बिना बन्टवाड़ा व बिना तरमीम करवाये अजनबी खरीददारान् को बैचान हस्तान्तरण कर दिया तो एवं प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में आंका नहीं जा सकेगा। अप्रार्थी संख्या 12 से 15 को अपने हक हिस्से से अधिक हिस्से की भूमि का बैचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए न्यायहित में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे जिससे किसी भी पक्षकार का हिस्सा प्रभावित नहीं हो। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 766/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई हैं। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी भूमि हैं। जब तब उक्त भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नही होता है तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हैं। अतः प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दुओ पर उक्त प्रार्थना पत्र का विवेचन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में सुविधा एवं संतुलन का प्रतीत होता हैं। अप्रार्थी उक्त बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित नही कर पाया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई आदेश बखूबी साबित होने से तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है । अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से जारी की जाती है कि सरहद मौजा सिन्धीपुरा पटवार क्षैत्र सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 766/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करें राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही करें । रहन, बेचान, हस्तान्तरण, न करने व प्रार्थी के अपने हिस्से तक के खातेदारी अधिकारो के उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न न करने, प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न न करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है ।

पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर